# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–06 (लो0सू0अ0)/2022–23
श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 06.05.2022 | श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक 25.04.2022 इस कार्यालय में दिनांक–05.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 934861 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।<br>अपीलकर्त्ता श्री सुजीत कुमार मिश्रा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–23.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–23.03.2022 की प्रति संलग्न की है।<br>अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–23.03.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–24.05.2022 को उपस्थापित करें।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br>6/5/2022<br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**–सह–**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |

## अपील वाद संख्या—06 / 2022—23

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता—सह—सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला—गया, बिहार को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक—23. 03.2022 के क्रम में निम्नांकित सूचना की मॉग की गई है:—<br>(A) *''महामहिम कुलाधिपति—सह—राज्यपाल महोदय, बिहार, पटना के निर्देश पर कुलपति श्री देवी प्रसाद तिवारी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पर गठित जॉच समिति द्वारा महामहिम राज्यपाल को समर्पित किए गए जॉच प्रतिवेदन कि छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए, जो नोडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो।''*<br>(B) *नोडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाए कि श्री देवी प्रसाद तिवारी पर लगाए गए बिन्दुवार आरोप पर जॉच समिति द्वारा बिन्दुवार जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।''*<br>उपर्युक्त के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक—आर॰टी॰आई॰ / वी॰के॰एस॰यू॰—09 / 2021—93 / रा॰स॰(I) दिनांक—07.04.2022 द्वारा निम्नांकित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है:—<br>*''श्री देवी प्रसाद तिवारी, तत्कालीन कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पर गठित जॉच समिति द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, पटना को समर्पित किए गए जॉच प्रतिवेदन पर कोई अंतिम निर्णय / आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मामला प्रक्रियाधीन है।''*<br>उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री मिश्रा द्वारा प्रपत्र 'क' में सूचना के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उनके पास उपलब्ध सूचना को अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया है, अतः अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।<br>तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**—सह—**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |

अपील वाद संख्या–06 / 2022–23

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–23.03.2022 के क्रम में निम्नांकित सूचना की माँग की गई है:–<br>(A) *"महामहिम कुलाधिपति–सह–राज्यपाल महोदय, बिहार, पटना के निर्देश पर कुलपति श्री देवी प्रसाद तिवारी, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पर गठित जॉच समिति द्वारा महामहिम राज्यपाल को समर्पित किए गए जॉच प्रतिवेदन कि छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए, जो नोडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो।"*<br>(B) *नोडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाए कि श्री देवी प्रसाद तिवारी पर लगाए गए बिन्दुवार आरोप पर जॉच समिति द्वारा बिन्दुवार जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।"*<br>उपर्युक्त के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰ / वी॰के॰एस॰यू॰–09 / 2021–93 / रा॰स॰(I) दिनांक–07.04.2022 द्वारा निम्नांकित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है:–<br>*"श्री देवी प्रसाद तिवारी, तत्कालीन कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पर गठित जॉच समिति द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, पटना को समर्पित किए गए जॉच प्रतिवेदन पर कोई अंतिम निर्णय / आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मामला प्रक्रियाधीन है।"*<br>उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री मिश्रा द्वारा प्रपत्र 'क' में सूचना के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उनके पास उपलब्ध सूचना को अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया है, अतः अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।<br>तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।<br>24/5/2022<br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार<br><br>ज्ञापांक– 650/रा॰स॰(iii) दिनांक–25-05-2022<br>प्रतिलिपि:– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, यमुना भवन पश्चिम दिग्घी तालाब, जिला–गया, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।<br>24/5/2022<br>विशेष कार्य पदाधिकारी | |